कलाओं के लिए अनुदान हेतु योग्यता मापदंड में परिवर्तन

हमारे अनुदानों की भारी मांग है और हम, हमें प्राप्त सभी योग्य आवेदकों को धन प्रदान नहीं कर सकते।

बढती मांग की व्यवस्था और समान रूप में धन वितरण सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 31 मार्च 2007 से कला के लिए अनुदान हेतु योग्यता मापदंड में निम्नलिखित परिवर्तन शामिल होंगे।

- आप उस गतिविधि के लिए आवेदन नहीं कर सकते जिसे अनेकों वर्षों तक किया जाएगा। उस गतिविधि, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, को गतिविधि शुरू होने की तिथि से 12 माह अथवा पहले पूरा हो जाना जरूरी है।

- आप राष्ट्रीय गतिविधि के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप 200,000 पाउंड से अधिक के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कलाओं हेतु अनुदान मार्गदर्शक लेखों में ''आप किसके लिए आवेदन कर सकते हैं'' खंड देखें।

यदि इन परिवर्तनों से आपकी गतिविधि प्रभावित होती है, हम आपको हमसे सलाह लेने की सिफारिश करते हैं। हमारा जांच दल आवेदन करने के बारे में आपको सामान्य जानकारी उपलब्ध अथवा उस व्यक्ति से संपर्क करा सकता है जिससे आप बात करना चाहें। आप निम्न द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं।

- फोन: 0845 300 6200
- ई–मेल: enquiries@artscouncil.org.uk
- टैक्स्टफोन: 020 7973 6564

© आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड, मार्च 2007

ARTS COUNCIL ENGLAND

कला के लिए अनुदान- वैयक्तिक और संस्थागत

<In English>This is the (Hindi) version

‘इंगलैंड कला परिषद (Arts Council England) कला को अधिक लोगों और जगहों तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। हम सरकार से दो कदम की दूरी पर एक आत्मनिर्भर संस्था की हैसियत से काम करते हुए पूरे इंगलैंड में कला के विकास और प्रोत्साहन का काम करते हैं।

हम 2006 और 2008 के दौरान कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार और राष्ट्रीय लॉट्री के द्वारा हासिल सार्वजनिक राशि में से 1.1 अरब पाउंड [£1.1 billion] खर्च करेंगे। ये इंगलैंड में कला को बढ़ावा देने का बुनियाद है।

हम मानते हैं कि कला में जीवन और समाज को बदलने और पूरे देश के लोगों के लिए अवसर पैदा करने की क्षमता होती है।‘

संस्थाओं और राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए कला के लिए अनुदान हेतु फंड राष्ट्रीय लॉट्री के द्वारा मुहैया कराया जाता है। अप्रेल 2007 से कला के लिए अनुदान – वैयक्तिक, की फंडकारी भी राष्ट्रीय लॉट्री के द्वारा की जाएगी।

कला के लिए अनुदान

कला के लिए अनुदान उन व्यक्तियों, कला संस्थाओं और अन्य लोगों के लिए होता है जो अपने काम में कला का प्रयोग करते हैं। वह कला से संबंधित गतिविधियों के लिए होता है जिस से इंगलैंड के लोगों को लाभ होता हो और इंगलैंड के कलाकारों और कला संस्थाओं को अपना काम पूरा करने में मदद करता हो।

कला हेतु अनुदान एक निरंतर कार्यक्रम है। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है लेकिन हम नियमित रूप से सुधार करने का इरादा रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम समय-समय पर नई सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं।

आप हमारी आवेदन सामग्री का ताजा रूपांतर www.artscouncil.org.uk या 0845 300 6200 पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं।

हम सामान्यतः किसी पूरे आवेदन पर फैसला लेंगेः
- £5,000 या इससे कम के आवेदन के लिए छः कार्य सप्ताह के भीतर; या
- £5,000 से ज्यादा के आवेदन के लिए 12 कार्य सप्ताह के भीतर।

हम अपने निधीयन को आगे तक ले जाना चाहते हैं और आप को उपलब्ध होने पर निधीयन के अन्य स्रोतों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हम सामान्यतः यह आशा करते हैं कि आप अपनी गतिविधि की कुल लागत का कम से का 10 प्रतिशत दुसरे स्रोतों से प्राप्त करें।

उद्देश्य

कला हेतु अनुदान के उद्देश्य हैं:

- कला में भाग लेने के लिए ज्यादा लोगों की मदद करना;
- बच्चों और युवाओं के लिए रचनात्मक अवसर उपलब्ध कराना;
- कलाकारों, कला संस्थाओं और रचनात्मक अर्थ व्यवस्था की तरक्की में मदद करना;
- स्फुर्त समाज बनाने में कला और कलाकारों को शामिल करना;
- इस देश के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने, अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को इंगलैंड में काम करने और यहां और अन्य देशों के कलाकारों को एक दूसरे के साथ काम करने देना;
- विभिन्नता को प्रोत्साहन देने और सम्मानित करने के लिए अवसर पैदा करना;
- कला संस्था और कला क्षेत्र की काम और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए।

"विभिन्नता" से हमारी मुराद यह है कि हम जाति, जातीयता, आस्था, अपंगता, लैंगिकता, वर्ग और आर्थिक असुविधा से संबंधित मामलों पर — लोगों को कला में भाग लेने और उनसे आनंद उठाने से रोकने वाली समाजी या संस्थागत रुकावटों पर जवाबी कार्रवाई करेंगे।

कौन आवेदन कर सकता है

व्यक्तियों के लिए अनुदान

कला हेतु अनुदान- वैयक्तिक, निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हैः

- कलाकार;
- अदाकार;
- लेखक;
- प्रोत्साहक;
- पेशकर्ता;
- संग्रहपाल;
- प्रस्तुतकर्ता;
- व्यक्तियों का समूह; और
- कला के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य व्यक्ति।

वैयक्तिक ग्रांट सामान्यतः £200 से £30,000 तक का होता है, और इस से तीन वर्ष तक की गतिविधियों का खर्च पूरा किया जा सकता है। हम ज्यादा समय के या बड़ी प्रोजेक्टों के लिए ज्यादा अनुदान दे सकते हैं। 2005/06 में वैयक्तिक रूप से दिया जाने वाला औसत अनुदान £5,580 था।

संस्थाओं के लिए अनुदान

कला हेतु अनुदान – संस्थागत निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हैः

- कला संस्थाएं;
- स्थानीय प्राधिकरण और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं;
- भागीदारी और सामूहिक मुहिम;
- क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं;
- ऐसी संस्थाएं जिन की सामान्य गतिविधि कला से संबंधित नहीं हो, जिन में स्वयंसेवी और सामुदायिक समूह शामिल हैं; और
- संस्थाओं का समूह (इस में शामिल किसी एक संस्था को आगे आने की आवश्यक्ता होगी और आवेदन पत्र और किसी भी अनूदान को संभालने का मुख्य दायित्व लेना होगा)।

'संस्था' से हमारा तात्पर्य है साझा एंव सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम करने वाले लोगों का कोइ एक समूह है। इस के कई प्रकार हो सकते हैं (उदाहरणतः कोई लिमिटेड कम्पनी, खैराती संस्था या असमाविष्ट समूह)। यदि आप एक संस्था तौर पर कला हेतु अनुदान के लिए आवेदन कर रहें हैं तो आपका एक ऐसा बैंक खाता होना चाहिए जिस में संस्था की ओर से दो व्यक्ति हस्थाक्षर कर सके।

संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान आम तौर पर £200 से £100,000 तक का होता है, और इस से तीन साल तक चलने वाली गतिविधियों का खर्च पूरा किया जा सकता है। 2005/06 में संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान का औसत £21,634 था।

कौन आवेदन नहीं कर सकता है

निम्नलिखित व्यक्ति या संस्थाएं कला हेतु अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपका सम्बंध निम्नलिखित किसी श्रेणी से है, तो आपका आवेदन मूल्यांकन के योग्य नहीं होगा।

- ऐसी संस्थाएं जो सदस्यों या शेयरहोल्डर में लाभांश बांटती हैं, बशर्ते कि आप जिस गतिविधि के लिए आवेदन कर रहे हों वह आत्मनिर्भर कला प्रोजेक्ट नहीं हो और इसका लोगों को स्पष्ट फायदा नहीं होता हो।
- छात्र, ऐसी गतिविधियों के लिए जिनका सम्बंध उनके पाठ्यक्रम या ट्युशन फीस से हो (छात्र से हमारा तात्पर्य वह व्यक्ति है जो किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो)।
- ऐसी संस्थाएं जिनको नियमित रूप से हम से फंड प्राप्त होता हो और जिनके पास आवेदन करने के लिए अपने नेतृत्व पदाधिकारी का लिखित अनुबंध नहीं हो।
- वैयक्तिक शिक्षा संस्थान जहां की गतिविधियों से समुदाय के बड़े भाग को या बड़ी संख्या में कलाकारों को फायदा नहीं होता हो।
- युरोपीय संघ के बाहर अवस्थित (रहने वाला) व्यक्ति या संस्था।

आप किस लिए आवेदन कर सकते हैं

हम ने आपके विचारों को विकसित करने में आपके प्रोत्साहन के लिए कला अनुदान की योजना बनाई है जो कि आपकी कलात्मक ज़रूरतों और भविष्य की योजनाओं से सम्बंधित हो। इसका उद्देश्य लचकदार होना और नए विचारों को बढ़ावा देना है हम ऐसी गतिविधियों में सहयोग करते हैं जिनसे इंग्लैंड के लोगों को फायदा हो या जो कलाकारों की कला संस्थाओं को अपना काम करने में मदद करे।

आप गतिविधि विशेष रूप से इंग्लैंड में होनी चाहिए इसके कुछ अपवाद भी होते हैं जब इंग्लैंड के कलाकार या कला संस्था दूसरे देशों की गतिविधियों में लगे हुए हों। (कृप्या अधिक सूचना के लिए हमारा सूचना पत्र *अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि [International activity]* देखें; आप इसे अन्य सूचना पत्र के साथ हमारी वेब साइट, www.artscouncil.org.uk पर देख सकते हैं।)

आप निम्न जैसी सीमित समय की कला से सम्बंधित गतिविधियों के लिए अनुदान का आवेदन कर सकते हैं।

- प्रॉजेक्ट और समारोह
- कमीशन और प्रस्तुतीकरण
- शोध और विकास
- लोगों के भाग लेने के लिए गतिविधियां
- 'दर्शक विकास' (ऐसी गतिविधियाँ जिनका उद्देश्य खास तौर पर दर्शकों की ज़रूरतें पूरी करना और दर्शकों के साथ दीर्घकालिक सम्बंध स्थापित करने के लिए कला संस्थाओं की मदद करना हो।)
- मार्केटिंग की गतिविधियां (जैसे, इस बात की समझ बढ़ाने की गतिविधियां की कौन कला समारोह में भाग लेता है या आता है, या ऐसी गतिविधियां जिनसे कला में भाग लेने वालों लोगों की संख्या और प्रकार में वृद्धि हो।)
- शैक्षणिक गतिविधियां
- परिसंपत्ति खरीदना जैसे उपकरण, वाद्य और गाड़ियां
- किसी प्रस्तावित योजना की व्यावहारिकता का अध्ययन करना (भवन की योजना की समर्थता की जांच के लिए अध्ययन) या कला के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले भवन मकान का डिज़ाइन तैयार करना, (आप आवेदन करने से पहले हमारा लिखित अनुबंध प्राप्त करना होगा। पूछताछ दल से 0845 300 6200 पर फोन कर के या enquiries@artscouncil.org.uk पर मेल करके संपर्क करें। वह आपका संपर्क आपके संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी के कार्यालय में अनुदान व्यवस्था इकाई से कराएगा।)
- कला के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले भवन को सजाना, उन्हें बेहतर बनाना और खरीदना। (आप आवेदन करने से पहले हमारा लिखित अनुबंध प्राप्त करना होगा या फिर हम आपके आवेदन का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। पूछताछ दल से 0845 300 6200 पर फोन कर के या enquiries@artscouncil.org.uk पर मेल करके संपर्क करें। वह आपका संपर्क आपके संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी के कार्यालय में अनुदान व्यवस्था इकाई से कराएगा।)
- सार्वजनिक कला
- व्यावसायिक विकास और प्राशिक्षण, यात्रा अनुदान सहित
- छात्रवृत्ति
- फेलोशिप

- कला संस्थाओं की दीर्घकालिक स्थिरता बढ़ाने के लिए संस्थानात्मक विकास
- रेज़िडेंसी
- पर्यटन

हम राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए भी फंड दे सकते हैं। यह अनुदान सामान्यतः £5,000 से £200,000 तक का होता है। 2005/06 में राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए औसत अनुदान £41,152 था। राष्ट्रीय गतिविधियों के उदाहरण में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है।

- राष्ट्रीय पर्यटन परियोजनाएं
- मुख्य रूप से एक बार होने वाला, बड़े स्तर का राष्ट्रीय कला समारोह जिस में कांफ्रेंस शामिल है
- एक से ज्यादा क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियां, जिन में त्योहार, दर्शक विकास गतिविधियां, प्रशिक्षण प्रोजेक्ट और रेज़िडेंसी शामिल हैं
- राष्ट्रीय कलाकारों और कला संस्थाओं के द्वारा कलात्मक रचना का प्रस्तुतीकरण या प्रदर्शन (एक से अधिक क्षेत्रों में)
- ऐसी गतिविधियां जो पूरे इंग्लैंड के कलाकारों और कला संस्थाओं के बीच सामूहिक कार्य का नतीजा हों।

सभी स्थिति में आपके आवेदन में एक से अधिक प्रकार की गतिविधि शामिल की जा सकती है। उदाहरणस्वरूप, आप एक ही आवेदन में पर्यटन लागत, नई गाड़ी और व्यावसायिक विकास कार्य का आवेदन कर सकते हैं। हम आपको यह सलाह दे सकते हैं ऐसा कैसे किया जाता है और यह कि क्या यह आपके लिए उचित है। हमारे पूछताछ दल से 0845 300 6200 पर फोन करके या enquiries@artscouncil.org.uk पर ईमेल करके संपर्क करें।

आप किस के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं

आप निम्नलिखित गतिविधियों के आवेदन नहीं कर सकते हैं।

- ऐसी गतिविधियां जिनका संबंधन कला से नहीं हो
- फिल्म या विडियो का प्रस्तुतीकरण और सिनेमा का प्रदर्शन, बशर्तेकि यह चलचित्र में कलाकारों की रचना को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो। हम चलचित्र के मामले में किस लिए फंड मुहैया कराते हैं और किस लिए नहीं, इसके अधिक विवरण के लिए कृप्या हमारा सूचना पत्र *चलचित्र (The moving image)* देखें
- प्रशिक्षण या शिक्षा की गतिविधियां, या ऐसी गतिविधियां जिनमें कोई भी आम लोग भाग लेते हों, जहां इस्तेमाल में लाया जाने वाला कला का प्रमुख और एकमात्र रूप फिल्म या वीडियो हो, बशर्तेकि वह चलचित्र में कलाकारों की रचना को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो
- फिल्म और वीडियो के लिए साधन खरीदना, बशर्तेकि वह चलचित्र में कलाकारों की रचना को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो
- ऐसी गतिविधियां जिनसे लोगों को अल्पकालिक दीर्घकालिक संभावित फायदा नहीं होता हो
- हम आपके आवेदन का फैसला कर पाएं, इस से पहले पूरी या शुरू होने वाली गतिविधियां, जिनमें माल और सेवाओं की खरीदारी शामिल है
- पहले से मौजूद या पहले होने वाली गतिविधियों, उपकरण या समारोह का फिर से (वैसा ही) प्रबंध हो

- ऐसी लागत जिनकी व्यवस्था निधियन के द्वारा पहले ही की जा चुकी हो
- जारी सामान्य लागत और उपरी खर्च जिसका भुगतान स्वयं आपके फंडों सहित अन्य आय से किया जाता हो
- उपकरण या भवन से संबंधित जारी ऊपरी खर्च, जैसे बीमा और रख रखाव की लागत
- फंड उगाही के समारोह, जैसे चैरिटी जश्न, जिससे कला को लाभ नहीं होता हो
- पुराने उपकरण (कुछ खास संगीत संबंधी वाद्य और विशिष्ट उपकरण के अलावा। कृप्या अधिक सूचना के लिए हमारा सूचना पत्र *संगीत वाद्य और पुराने उपकरण [Musical instruments and second-hand equipment]* देखें।)
- खास तौर पर इंग्लैंड से बाहर होने वाली गतिविधियां या समारोह (इसके कुछ अपवाद हैं – जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और प्रशिक्षण, और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के लिए अनुदान – लेकिन इन गतिविधियों से इंग्लैंड में रहने वाले कलाकारों और अवस्थित संस्थानों को निश्चित रूप से लाभ होना चाहिये। कृप्या अधिक सूचना के लिए हमारा सूचना पत्र *अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि [International activities]* देखें।)
- ऐसी गतिविधियां जिन से इंग्लैंड के लोगों को फायदा नहीं होता हो या जिन से इंग्लैंड के कलाकारों और कला संस्थाओं को अपना काम पूरा करने में मदद नहीं मिलती हो
- ऐसे उपकरण और यंत्र खरीदना जिन से तुरंत या दीर्घकालिक रूप से लोगों को फायदा नहीं होता हो, या जिस में आवेदक की कलात्मक उपलब्धि का कोई रिकार्ड नहीं हो
- आत्म-प्रोत्साहन गतिविधियां जिन से तुरंत या दीर्घकालिक रूप से लोगों को फायदा नहीं होता हो, या जिस में आवेदक की कलात्मक उपलब्धि का कोई रिकार्ड नहीं हो
- कानून के अंतर्गत आवश्यक शिक्षा उद्देशों के लिए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की गतिविधियां

हम किस लिए फंड नहीं देते हैं इस की पूर्ण सूची हमारी वैबसाइट, www.artscouncil.org.uk पर और कला अनुदान निर्देश टिप्पणी में भी है।

आवेदन पैक से आपको यह फैसला लेने में मदद मिलेगी कि क्या आपके प्रोजेक्ट के लिए निधियन का सही स्रोत है। राष्ट्रीय लॉट्री निधियन के कुछ अन्य स्रोत निम्नलिखत हैं।

राष्ट्रीय लॉट्री निधियन के अन्य स्रोत

राष्ट्रीय लॉट्री निधियन से संबंधित सामान्य पूछताछ के लिए www.lotteryfunding.org.uk देखें या राष्ट्रीय लॉट्री निधियन की हेल्पलाइन को 0845 275 0000 पर फोन करें।

एवार्डज फार ऑल (Awards for All)
www.awardsforall.org.uk

फोन: 0845 600 2040

बिग लॉटरी फण्ड (Big Lottery Fund)
www.biglotteryfund.org.uk
फोन: 0845 410 2030

फिल्म परिषद (Film Council)
www.ukfilmcouncil.org.uk
फोन: 020 7861 7861

हेरिटेज लॉटरी फण्ड (Heritage Lottery Fund)
www.hlf.org.uk
फोन: 020 7591 6000

नेस्टा (विज्ञान, प्राधिकरण और कला के लिए राष्ट्रीय दान)
[NESTA (National
Endowment for Science,
Technology and the Arts)]
www.nesta.org.uk
फोन: 020 7645 9500

स्पोर्ट इंगलैंड (Sport England)
www.sportengland.org
फोन: 0845 850 8508

यूके स्पोर्ट (UK Sport)
www.uksport.gov.uk
फोन: 020 7211 5100

यूथ म्युजिक (Youth Music)
www.youthmusic.org.uk
फोन: 020 7902 1060

इंग्लैंड कला परिषद (Arts Council England)
14 Great Peter Street
London SW1P 3NQ
Website: www.artscouncil.org.uk

फोन: 0845 300 6200
टेक्स्ट फोन: 020 7973 6564
ईमेल: enquiries@artscouncil.org.uk
Charity registration number 1036733

हम सार्वजनिक एंव सुलभ होने के लिए वचनबद्ध हैं। हम अपने काम पर की गई सभी टिप्पणियों का स्वागत करते हैं। कृप्या इन्हें एंड्रयु व्हाइट, कार्यकारी निदेशक, संचार (Andrew Whyte, Executive Director, Communications) को कला परिषद (Arts Council) के उपर्युक्त पते पर भेज दें।

आप इस सूचना को बड़े प्रिंट, ब्रेल, ऑडियो सीडी (CD), ब्रिटिश् संकेत भाषा [British Sign Language (BSL)] के डी वी डी (DVD) और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इन में से किसी की भी ज़रूरत हो तो कृप्या हम से संपर्क करें।

इस इश्तहार में दी गई सूचना अंग्रेजी के अलावा दुसरी भाषाओं में उप्लब्ध है,
हालांकि हम आवेदन केवल अंग्रेजी में ले सकते हैं